

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में *थाना दुधारा* पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता सौरभ वर्मा पुत्र अजय वर्मा निवासी अनुपनगर थाना सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री रामकुशल सिंह, हे0का0 अरविन्द यादव, का0 भीम कुमार ।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3303 द्वारा बाइक व ट्रक में टक्कर होने के कारण घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 3303 को इवेंट सं0 35840 से थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत बरदहिया शिवाय होटल के पास से घायल 02 व्यक्तियों (01. प्रेमचंद्र प्रजापति पुत्र रामफेर ग्राम दरूआदपती थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 2.संजय कुमार गौतम ग्राम दरूआदपती थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर घायल व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया । घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल को ईलाज हेतु जिला अस्पताल खलीलाबाद भेजवाया गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।

पीआरवी स्टाफ- आ0 विजय प्रताप यादव, हो0चा0 सूर्यनाथ मौर्या ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 17 वाहनों से 19,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 27.01.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 17 वाहनों से 19,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 01 स्थान पर लगवाये गये 07 सीसीटीवी कैमरा

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 27.01.2025 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 01 स्थान पर 07 सीसीटीवी कैमरा लगवाये गये। थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 07 कैमरा लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के मामले में वांछित 04 अभियुक्त व 02 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार

वादी श्री सौरभ सिंह पुत्र रणविजय सिंह (ब्लाक अध्यक्ष- प्रान्तीय गौ रक्षा दल) ग्राम खरचा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर सूचना दिया गया कि हिन्दु धर्म की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग की गरीब महिलाओं एवं पुरुषों को इसाई धर्म में परिवर्तन करने के लिए लोभ लालच देकर एक प्रार्थना सभा में सम्मिलित किये जाने व प्रभु ईसा मसीहा बहुत शक्तिशाली देवता है, इनका इसाई धर्म ग्रहण करके प्रार्थना शुरू कर दो सारी समस्या दूर हो जायेगी, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया व हिन्दू देवी देवताओं को गाली आदि दिया गया। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा दिनांक 26.01.2025 को थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा ***श्री रामकृष्ण मिश्र*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा थाना धनघटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0045/2025 धारा 302 बी0एन0एस0 व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम में वांछित अभियुक्तगण नाम पता 1. पिन्टू पुत्र मुंशी ग्राम पाऊ थाना कलवारी जनपद बस्ती, 2. रामचन्द्र पुत्र राम लखन ग्राम भूयर थाना कलवारी जनपद बस्ती, 3. सुवाष चन्द पुत्र विश्वनाथ निवासी घोवहट थाना कलवारी जिला बस्ती, 4. हरिहर यादव पुत्र लक्ष्मीनाथ यादव ग्राम बड़ेवन ग्राम थाना कोतवाली जिला बस्ती व 5. ललिता पत्नी दिलिप निवासी बोडवारा थाना मुण्डेरवा जिला बस्ती, 6. गुडिया पत्नी शिवसागर ग्राम महसो थाना लालगंज जिला बस्ती को आज दिनांक 27.01.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. पिन्टू पुत्र मुंशी ग्राम पाऊ थाना कलवारी जनपद बस्ती।
- 2- रामचन्द्र पुत्र राम लखन ग्राम भूयर थाना कलवारी जनपद बस्ती।
- 3- सुवाष चन्द पुत्र विश्वनाथ निवासी घोवहट थाना कलवारी जिला बस्ती।
- 4- हरिहर यादव पुत्र लक्ष्मीनाथ यादव ग्राम बड़ेवन ग्राम थाना कोतवाली जिला बस्ती।
- 5- ललिता पत्नी दिलिप निवासी बोडवारा थाना मुण्डेरवा जिला बस्ती।
- 6- गुडिया पत्नी शिवसागर ग्राम महसो थाना लालगंज जिला बस्ती।

बरामदगी-

04 अदद एण्ड्राइड मोबाइल।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0 नि0 श्री अशोक कुमार दुबे, उ0नि0 श्री जय प्रकाश कुशवाहा, का0 मेराज अली, म0का0 सीता यादव, म0का0 विनीता।

* “ऑपरेशन कनविक्शन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के

फलस्वरूप मारपीट के मामले में 01 अभियुक्त को 06 माह की अवधि के लिए सदाचरण कायम रखने के लिए छोड़ा गया*

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप दिनांक 27.01.2025 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0एम0 संतकबीरनगर द्वारा *थाना बखिरा* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 123/1998 धारा 323,325,504 भादवि अभियुक्त चन्द्रभान पुत्र अगहू पुत्र लालाजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर। जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त को अंतर्गत धारा 323/325/504 भा0द0वि0 में 06 माह की अवधि के लिए सदाचरण कायम रखने के लिए छोड़ा गया।

* “ऑपरेशन कनविक्शन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के

फलस्वरूप व्यपहरण के मामले में अभियुक्त को 02 वर्ष के कठोर कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित*

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप आज दिनांक 27.01.2025 को न्यायालय – जिला एवं सत्र न्यायालय जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1258/2010 धारा 363/366/506 भादवि के मामले में अभियुक्त शेषनाथ यादव को सभी धाराओं के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त सभाचन्द यादव को धारा 366/376/506 भादवि के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा 363 भादवि के अपराध हेतु दोषसिद्ध करते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

“ऑपरेशन कनविक्शन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 03 वर्ष सश्रम कारावास व 3500 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

***“ऑपरेशन कनविक्शन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।**

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप आज दिनांक 27.01.2025 को ***अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट) जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा ***थाना महुली*** पर पंजीकृत ***मु0अ0सं0 159/2017*** धारा 354(क)/354(ख)/323/504 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के मामलों में अभियुक्त रामकृपाल को धारा 323/354(क) भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध किया जाता है परन्तु अभियुक्त रामकृपाल को धारा 354(ख)/504 भादवि के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त रामू को धारा 354(क)/354(ख)/323/504 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के अपराध में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर है। अभियोग उपरोक्त के जमानतदारों की जमानतनामें व बन्धप्रत्र निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण रामू की ओर से धारा 437ए सीआरपीसी के अनुपालन में मुल्य 25000 रु0 की धनराशि की 02 प्रतिभू एवं समान समान राशि की व्यक्तिगत बन्धप्रत्र दाखिल किया जाय जो निर्णय की तिथि से 06 माह तक प्रभावी रहेगा। अभियुक्त रामकृपाल को धारा 7/8 पाक्सो एक्ट में 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 3000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा व धारा 323 भादवि के तहत 07 माह का सश्रम कारावास व 500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 31 सीआरपीसी के तहत दोषसिद्ध की सभी सजायें साथ साथ चलेंगी। धारा 428 सीआरपीसी के तहत दोषसिद्ध के द्वारा अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि से इस मामले की अवधि से मुजरा किया जाएगा। धारा 357 सीआरपीसी के तहत सम्पूर्ण धनराशि 3500 में से आधा धनराशि प्रत्येक पिड़ितागण को क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।

*** “ऑपरेशन कनविक्शन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप व्यपहरण के मामले में अभियुक्त को 02 वर्ष के कठोर कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप आज दिनांक 27.01.2025 को न्यायालय – जिला एवं सत्र न्यायालय जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1258/2010 धारा 363/366/506 भादवि के मामलों में अभियुक्त शेषनाथ यादव को सभी धाराओं के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त सभाचन्द यादव को धारा 366/376/506 भादवि के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा 363 भादवि के अपराध हेतु दोषसिद्ध करते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।